

बिहार सरकार  
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 153/आवंटन/

सं० सं०-०५/उ० नि० ब० (आवंटन) ३९/२०१८

पटना, दिनांक २७.३.१९

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,  
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

सहायक उद्योग निदेशक (लेखा),  
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

विषय :-

मुख्य शीर्ष-५४६५-सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश, उपमुख्य शीर्ष-०१-सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश, लघुशीर्ष-१९०-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों, बैंकों आदि में निवेश, मांग सं०-२३, उपशीर्ष-०१०९-बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लि०, विपत्र कोड २३-५४६५०११९००१०९, विषय शीर्ष ०१०९.५४.०१ निवेश मद से बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लि० (BICICO), पटना को औद्योगिक एवं व्यापारिक इकाईयों को आवश्यकतानुसार ऋण/वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में ₹० ५,००,००,०००.०० (पाँच करोड़ रुपये) मात्र की स्वीकृति के आलोक में राशि का आवंटन।

महाशय,

उक्त बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में संबंधित व्यय को वहन करने हेतु कुल ₹० ५,००,००,०००.०० (पाँच करोड़ रुपये) मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

२. इस राशि का विकलन मुख्य शीर्ष-५४६५-सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश, उपमुख्य शीर्ष-०१-सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश, लघुशीर्ष-१९०-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों, बैंकों आदि में निवेश, मांग सं०-२३, उपशीर्ष-०१०९-बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लि०, विपत्र कोड २३-५४६५०११९००१०९, विषय शीर्ष ०१०९.५४.०१ निवेश मद में वित्तीय वर्ष २०१८-१९ में तृतीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से उपबंधित राशि से होगा।

३. यह आवंटन वित्तीय वर्ष २०१८-१९ के विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक १५६६ दिनांक २६.०३.२०१९ के आलोक में दिया जा रहा है। इसके सभी निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

४. राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक २५६१ वि०(२) दिनांक १७ अप्रैल, १९९८ के आलोक में ही की जाय तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।


५. राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :-  
(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग-१ के नियम ४७५ का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।

(ग) व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी० भी० नं०/बिल नं० के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

(घ) 2018-19 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 30 मार्च 2019 तक अवश्य भेज दें।


विश्वासभाजन

  
उद्योग निदेशक  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 153/3179

पटना, दिनांक 27.3.19


प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
उद्योग निदेशक  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 153/3170

पटना, दिनांक 27.3.19

प्रतिलिपि :- योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लि० (BICICO), पटना/ए०सी०-डी०सी० यू०सी० कोषांग, उद्योग विभाग/प्रशाखा-05(बजट) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई० टी० मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी के अधिकृत ई-मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

  
उद्योग निदेशक  
बिहार, पटना।